सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 263/सो.आ.नि.–318(1)/2014
दिनाँकः 05 अगस्त, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बलिया, चंदौली,
कासगंज तथा गाजीपुर को छोड़कर)

विषयः **वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम छमाही में जुलाई से सितम्बर, 2014 के लिए सोशल आडिट टीमों द्वारा सोशल आडिट का कैलेण्डर।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में निदेशालय के पत्र संख्या 172/सो.आ.नि.–318(1)/2014 दिनांक 27–6–2014 तथा 184/सो.आ.नि.–318(1)/2014 दिनांक 03–7–2014 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लगातार सोशल आडिट की गुणवत्ता पर बल दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट को केवल औपचारिकता का निर्वाह के रूप में न लेकर इस प्रक्रिया को मनरेगा तथा इन्दिरा आवास योजना के स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जनसहभागिता एवं जवाबदेही स्थापित करने का एक प्रभावी टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गत वर्ष सोशल आडिट में यह अनुभव रहा है कि जिन जनपदों/विकास खण्डों में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यथोचित रूचि ली गई, उनमें सोशल आडिट की गुणवत्ता प्रशंसनीय रही और fact finding मिशन के रूप में सोशल आडिट के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर हुई अनेक कमियों/अनियमितताओं को प्रकाश में लाया जा सका। भारत सरकार तथा शासन द्वारा ऐसे गुणवत्तापूर्ण सोशल आडिट प्रतिवेदनों की प्रशंसा की गई है, किन्तु ऐसे प्रतिवेदनों की संख्या कम है।

उक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 18 अगस्त से 30 सितम्बर, 2014 के बीच सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक जनपद में कम से 05 ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट टीमों द्वारा ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के साथ ही साथ जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की देखरेख में सोशल आडिट सम्पन्न कराया जाएगा। आडिट पूरा होने के उपरान्त इससे सम्बन्धित प्रतिवेदनों की प्रति सोशल आडिट निदेशालय की ई–मेल socialauditup@yahoo.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

भवदीय,
(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–
समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शंकर सिंह)
निदेशक।